

प्ररूप सं. 30ख

[नियम 43 देखिए]

**भारत में अधिवास न करने वाले व्यक्ति के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 230(1) के
अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र**

फोलियो सं.

भारत सरकार

यह प्रमाणित किया जाता है कि आय-कर विभाग को उस व्यक्ति के, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, वायुयान/जलयान/भू-मार्ग से भारत छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है ।

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. पिता (या पति) का नाम
3. पासपोर्ट सं./आपात प्रमाणपत्र सं.

यह प्रमाणपत्र तारीख को या उसके पश्चात् तथा तारीख के पूर्व प्रारंभ की गई यात्रा या यात्राओं के लिए विधिमान्य है ।

स्थान :

तारीख :

(सील)

(विहित प्राधिकारी)